तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3826/2003/भरतपुर** **नारायणसिंह बनाम प्रभाती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थी।
अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

निर्णय **दिनांकः 28.01.2020**

हस्तगत् निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग की अपील संख्या 03/2003 बउनवानी परभाती बनाम नारायण में पारित आदेश दिनांक 24–07–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने एक राजस्व वाद पेश किया जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को तलब करके दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–2–1991 को वादी/प्रार्थी का वाद स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। दौराने अपील तरतीबी रेस्पो0 सं0 2 मुंशी पुत्र ज्वाला की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम हेतु अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पो0 सं0 2 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 सं01/प्रार्थी ने खण्डन किया कि उक्त अपील अबैट हो चुकी है जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग ने अपने निर्णय दिनांक 24–7–2003 को अप्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 सं0 2 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये जिस आदेश दिनांक 24–7–2003 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी/निगराकार द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकुल होने से निगरानी के माध्यम से निरस्त योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3826 / 2003 / भरतपुर** **नारायणसिंह बनाम प्रभाती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील अदम हाजरी में खारिज हो चुकी थी जिसे पुनः नम्बर पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें तरतीबी रेस्पो0 सं0 2 का स्वर्गवास होना बताया गया एवं उसके वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया है। उक्त अपील पुनः रेस्टोर होकर दर्ज की गई जबकि तरतीबी रेस्पो0 सं0 2 श्री मुंशी पुत्र ज्वाला का स्वर्गवास दिनांक 5-9-2002 को हुआ जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को थी लेकिन वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिए अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसको भी बिना अनदेखा कर अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से निर्णय पारित किया जबकि अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी थी। रेस्पो0 सं0 2 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु 90 दिन के अन्दर रेकार्ड पर लिया जाना चाहिए था जबकि जानकारी होते हुए भी दिनांक 8-7-2003 को प्रार्थना पत्र मियाद बाहर व समुचित सद्भाविक कारण नहीं बताये गये क्योंकि उन्हें इस बाबत् जानकारी पहले से ही थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिपादित कानूनी नजीर डब्ल्यू.एल.सी. 2002 पेज 530 व 1964 ए.आई. आर. पेज 215 के विरूद्ध जाकर अपना निर्णय पारित किया है। इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-7-2003 को निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील को अबैट करार घोषित किया जावें।

6- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7- विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग ने अपने निर्णय दिनांक 11-2-1991 में अंकित किया कि वादी का दावा प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-7-2003 में अंकित किया कि यद्यपि यह सही है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया है परन्तु मृतक प्रो-फार्मा रेस्पोडेन्ट है तथा प्रस्तुत नजीरों को देखते हुए तथा लिमिटेशन पर रिवटल को देखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र 250 रू0 कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। मृतक के स्थान पर उसके वारिसान को रेकार्ड पर दर्ज किया जावें। संशोधित तरमीम शीर्षक पेश करें तथा उन्हें तलब किया जावें।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलांट ने दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/3826/2003/भरतपुर</u>** **नारायणसिंह बनाम प्रभाती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8-7-2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 2 मुंशी पुत्र ज्वाली की मृत्यु दिनांक 5-9-2002 को हो गयी है। अपीलांट मजदूरी करने के लिए पंजाब चले गये थे। अपीलांट अशिक्षित ग्रामीण व निर्धन व्यक्ति हैं तथा वारिसान के प्रार्थना पत्र की मियाद का ज्ञान नहीं रहा है। वकील साहब के कहने पर तुरन्त बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र पेश कर देरी को कन्डोन किये जाने का पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट मजदूरी करने पंजाब चले गये तथा अशिक्षित व ग्रामीण होने के कारण मियाद का ज्ञान नहीं रहा है। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त को दृष्टिगत रखते हुए 250 रू0 कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत है। इसलिए निगरानी सारहीन होने से काबिज खारिज योग्य है। 9- अतः निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-7-2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	